



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052025-262811
CG-DL-E-01052025-262811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2025/वैशाख 11, 1947

No. 7]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2025/VAISAKHA 11, 1947

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2025

का.नि.आ. 7(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैंटीन स्टोर विभाग (संयुक्त महाप्रबंधक ग्रेड-2) भर्ती नियम, 1994 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कैंटीन स्टोर विभाग (संयुक्त महाप्रबंधक ग्रेड-2) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कैंटीन स्टोर विभाग (संयुक्त महाप्रबंधक ग्रेड-2) भर्ती नियम, 1994 (जिसे इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

“2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।“

- मूल नियम की अनुसूची में, संयुक्त महाप्रबंधक, ग्रेड-2 के पद के संबंध में,

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(4)
स्तर-13

“(123100-215900 रु.)।”;

(ii) स्तंभ (12) में,-

- (क) “(3700-5000 रुपये)”, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रुपये)”, शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;
- (ख) “3700-5000 रुपये के वेतनमान”, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक. का. नि. आ. 58 तारीख 28 मार्च 1994, द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे।

[फा. सं. 01(08)/2025/डी(सीएसडी)]

एम.पी. हरिनारायानन, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2025

S.R.O. 7(E)— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby make the following rules to amend the Canteen Stores Department (Joint General Manager Grade-II), Recruitment Rules, 1994, namely: -

1. (1) These rules may be called the Canteen Stores Department (Joint General Manager Grade-II) Recruitment (Amendment) Rules ,2025.
 (2) They Shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Canteen Stores Department (Joint General Manager Grade-II), Recruitment Rules, 1994 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: -
 “2. Number of posts, classification, and level in pay matrix. - The number of said post its classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
3. In Schedule to the principal rules, relating to the post of Joint General Manager, Grade-II,-
 (a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in pay matrix.
(4)
Level 13
(Rs 123100-215900).”;

(b) in column (12),-

- (i) for the brackets and figures “(Rs 3700-5000)”, the words, figures and brackets “level 12 (Rs 78800- 209200) in the pay matrix” shall be substituted;
- (ii) for the words and figures “the pay scale of Rs 3700-5000”, the words, figures and brackets “level 12 (Rs 78800- 209200) in the pay matrix” shall be substituted;

Note. - The principal rules were published, *vide* notification number S.R.O. 58 dated the 28th March, 1994 in the Gazette of India, Part II, Section 4.

[F. No. 01(08)/2025/D(CSD)]

M.P. HARINARAYAN, Under Secy.